निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 आषाढ़ 1947 (श0)

(सं0 पटना 1182) पटना, बुधवार, 2 जुलाई 2025

सं० पर्य०यो०रा०– 27/2025 खण्ड–1987/प०वि०
पर्यटन विभाग

संकल्प

2 जुलाई 2025

विषयः– **सीतामढ़ी जिले में अवस्थित माँ सीता की जन्मस्थली, पुनौराधाम का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, अयोध्या के अनुरूप समग्र विकास किये जाने हेतु तैयार की गयी वृहद् योजना एवं लागत राशि 882,87,00,000/– (आठ सौ बेरासी करोड़ सतासी लाख) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति, योजना के वित्त–पोषण की रूप–रेखा, तथा कियान्वयन के उपरांत प्रभावी संचालन एवं प्रबंधन की योजना की स्वीकृति के संबंध में।**

वर्तमान वैश्विक, सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य में पर्यटन प्रक्षेत्र अपनी विशेषताओं के कारण जन–मानस की जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा बन गया है। सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक स्थल पर्यटकों को विशेष रूप से भ्रमण हेतु आकर्षित कर रहे हैं। कई ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार पर्यटन प्रक्षेत्र है। धार्मिक पर्यटन भारत की संस्कृति का अभिन्न भाग है। इस देश में भी धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थलों का समग्र विकास किसी राज्य या क्षेत्र विशेष के आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हो सकता है। अयोध्या में स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र का विकास इसका एक जीवंत उदाहरण है। इसके अतिरिक्त इन स्थलों का विकास रोजगार सृजन एवं व्यापार के विकास की नयी संभावनाएँ भी पैदा करता है।

सीतमढी जिले में 'देवी सीता' की जन्मस्थली पुनौराधाम का विशेष धार्मिक और पर्यटकीय महत्व है। हिंदू धर्मावलंबी 'भगवान राम' के साथ 'देवी सीता' की भी पूजा करते हैं। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि का विकास किया गया है और यह श्रद्धालुओं के लिए एक आकर्षण का केन्द्र बन गया है। अयोध्या और पुनौराधाम के बीच सीधा संपर्क है। व्यापक जनहित में श्रद्धालुओं की भावना और पर्यटन के व्यापक विकास की संभावना को ध्यान में रखते हुए मौजुदा, पुनौराधाम को रामायण सर्किट के रूप में विकसित करना समीचीन है ताकि अयोध्या धाम से सीधा संपर्क हो सके। बिहार के सीतामढ़ी जिले में अवस्थित माँ सीता की जन्म स्थली, पुनौराधाम का समग्र विकास उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में नितांत आवश्यक है।

2. सीतामढ़ी जिले में अवस्थित माँ सीता की जन्मस्थली, पुनौराधाम के वृहद एवं समग्र विकास हेतु 50.00 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। पूर्व में इस मंदिर की न्यास समिति के नियन्त्राणाधीन कुल लगभग 17 एकड़ की भूमि उपलब्ध है। प्रगति यात्रा के दौरान पुनौराधाम के समग्र विकास की घोषणा की गयी, जिसके अनुपालन में स्थल के सांस्कृतिक महत्व एवं पर्यटकीय संभावनाओं के दृष्टिगत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, अयोध्या की तर्ज पर इस स्थल परिक्षेत्र का व्यापक विकास किया जायेगा। अर्जनाधीन 50 एकड़ की भूमि पर योजना का क्रियान्वयन पर्यटन विभाग द्वारा उक्त भूमि का दखल–कब्जा प्राप्त करने के उपरांत किया जाएगा।

3. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, अयोध्या के विकास की रूप–रेखा तैयार करने में शामिल परामर्शी, मेसर्स डिजाईन एसोसिएट्स इनकॉरपोरेटेड (M/s Design Associates INC.) नोएडा का चयन डिजाईन कन्सल्टेंट के रूप में उक्त स्थल के विकास हेतु विभागीय संकल्प संख्या– 1284 दिनांक– 25.04.2025 के माध्यम से किया गया है।

4. नामित कंसल्टेंट द्वारा तैयार किये गये परियोजना प्रस्ताव को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। इस परियोजना प्रस्ताव के अंतर्गत कुल लागत– 882,87,00,000/– (आठ सौ बेरासी करोड़ सतासी लाख) रूपये मात्र की विवरणी इस प्रकार है–

   (क). मंदिर की वर्तमान सरंचना के उन्नयन की लागत–137,34,00,000/– (एक सौ सैतीस करोड़ चौतीस लाख) रूपये मात्र।

   (ख). अन्य पर्यटकीय विकास संबंधित कार्य एवं भवन निर्माण की लागत–728,91,00,000/– (सात सौ अठाईस करोड़ एकानवे लाख) रूपये मात्र।

   (ग) क्रियान्वयन के उपरांत 10 वर्षों के लिए संचालन एवं प्रबंधन से संबंधित व्यय– 16,62,00,000/– (सोलह करोड़ बासठ लाख) रूपये मात्र।

5. उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नरूपेण कार्रवाई की जायेगी –

   (क). प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एकल पैकेज के रूप में ई0 पी0 सी0 (EPC) मॉडल पर निविदा प्रकाशित की जाएगी। इस ई0 पी0 सी0 की शर्तों में निर्मित संरचना का दस वर्षों के लिए संचालन एवं रख–रखाव किये जाने से संबंधित प्रावधान भी शामिल किये जाएंगें।

   (ख) माँ जानकी मंदिर, पुनौराधाम की वर्तमान संरचना के उन्नयन हेतु प्राक्कलित राशि 137,34,00,000/– (एक सौ सैतीस करोड़ चौतीस लाख) रूपये मात्र तथा योजना के क्रियान्वयन के उपरांत दस वर्षों के लिए सृजित परिसंपत्तियों की मरम्मति, प्रबंधन एवं रख–रखाव से संबंधित कार्य हेतु प्राक्कलित राशि – 16,62,00,000/–(सोलह करोड़ बासठ लाख) रूपये मात्र का वित्त पोषण गठित न्यास समिति द्वारा किया जाएगा। न्यास समिति द्वारा सहयोग राशि प्राप्त करने हेतु आवश्यक व्यवस्था की जा सकेगी। साथ ही राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त कार्यो के प्रयोजनार्थ न्यास समिति को आवश्यक राशि अनुदान स्वरूप दी जा सकेगी, ताकि पूरी परियोजना के वित्तीय पोषण में कोई कठिनाई नहीं हो। उक्त परियोजना हेतु न्यास समिति द्वारा देय राशि के संबंध में किसी प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में इसके भुगतान का अंतिम दायित्व राज्य सरकार का होगा।

   (ग.) परियोजना के अन्य पर्यटकीय विकास से संबंधित कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 728,91,00,000/– (सात सौ अठाईस करोड़ एकानवे लाख) रूपये मात्र का वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस राशि का व्यय पर्यटन विभाग के राज्य योजना स्कीम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं आगामी वित्तीय वर्षों में मुख्य शीर्ष– 5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष– 01– पर्यटक अवसंरचना, लघु शीर्ष– 101– पर्यटक केन्द्र, उप शीर्ष– 0104– पर्यटकीय संरचनाओं का विकास एवं विपत्र कोड– 46–5452011010104, विषय शीर्ष– 5301–मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

   (घ). ई0 पी0 सी0 (EPC) मॉडल पर निविदा का प्रकाशन, निष्पादन एवं योजना का कियान्वयन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना द्वारा किया जाएगा। साथ ही चयनित एजेंसी से बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना द्वारा पूरी परियोजना के लिए एकरारनामा किया जाएगा। योजना के नियमित अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन के क्रम में आवश्यक दिशा–निर्देश न्यास समिति द्वारा दिया जा सकेगा।

   (ङ). पूर्व में पुनौराधाम मंदिर के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्वीकृत्यादेश संख्या 2139 दिनांक–15.09.2023 के माध्यम से कुल 72,47,00,000/–(बहतर करोड़ सैतालीस लाख) रूपये मात्र की स्वीकृत योजना को रद्द किया जाता है।

(च). इस योजना के कियान्वयन हेतु प्राक्कलित राशि 882,87,00,000/– (आठ सौ बेरासी करोड़ सतासी लाख) रूपये मात्र की प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जायेगा।

6. उपरोक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक– 01.07.2025 को सम्पन्न बैठक में मद् संख्या– 16 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)–अस्पष्ट,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण)1182-571+3000-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in